भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1691**

**29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न**

**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन**

**1691. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लाभार्थी परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और अन्य संवेदनशील समूहों में कुपोषण, रक्ताल्पता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने के संबंध में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के पोषण संबंधी प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दालों, श्री अन्न, संवर्धित/पोषणयुक्त खाद्यान्नों और अन्य पौष्टिक खाद्य वस्तुओं को उत्तरोत्तर शामिल करके पीएमजीकेएवाई को एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से एक समग्र राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा कार्यक्रम में परिवर्तित करने का है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित नीतिगत ढांचे, कार्यान्वयन रणनीति, वित्तीय निहितार्थों का ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की दीर्घकालिक संधारणीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) से (घ):** सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) लागू कर रही है, जो मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके।

.....2/-

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही पीएमजीकेएवाई का उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम, जबकि प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज का दायरा काफी व्यापक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। इस अधिनियम के तहत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनमें से किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार के समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं के अनुसार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक परामर्शी जारी की गई है।

इसके अलावा, लक्षित लाभार्थियों में पोषण मानकों में सुधार करने के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के तहत अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट पोषण मानदंडों को संशोधित किया है।

वर्तमान में, इस योजना के तहत और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

******